न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1586–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–8–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर अपील प्रकरण कमांक 390/बी–121/05–06.

.....

श्रीमती ललता बाई पत्नी मुन्नालाल कोरी
निवासी ग्राम पठारी द्वारा मुख्त्यार निज
पति मुन्नालाल तनय गोपालदास कोरी
निवासी ग्राम पठारी तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

प्रीतम तनय सूदरे निवासी ग्राम पठारी
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 .....अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी , अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.10.2015 को पारित)

यह प्रकरण कमांक 1586–दो/06 राजस्व मण्डल के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग

के प्रकरण कमांक 390/बी–121/05–06 में पारित आदेश दिनांक 7–8–2006 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । तहसीलदार, पलेरा द्वारा उनके प्रकरण कमांक 5/अ–12/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 28–7–01 के द्वारा, ललताबाई (निगराकार) के आवेदन पर ग्राम पठारी स्थित उनकी भूमि 683/1/1क के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक द्वारा दिया गया प्रतिवेदन उसके प्रदर्शो सहित स्वीकृत किया, जिसमें ललताबाई की इस भूमि पर गैर निगराकार प्रीतम का 0.202 हैक्टेयर का अवैध कब्जा होना मान्य किया गया । इसके बाद तहसीलदार के समक्ष यह अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रकरण कमांक 6/अ–70/01–02 चला जिसमें तहसीलदार ने आदेश दिनांक 18–2–02 से यह अवैध कब्जा हटाए जाने का आदेश दिया। इसकी विरूद्ध प्रीतम ने अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अपील की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने उनके प्रकरण कमांक 105/अपील/01–02 में पारित आदेश दिनांक 14–8–02 के माध्यम से निरस्त कर दिया ।

इसके बाद गैर निगराकार प्रीतम द्वारा दिनांक 9–9–04 को संहिता की धारा 73 के अधीन तहसीलदार पलेरा के समक्ष यह आवेदन किया गया कि निगराकार ललता बाई द्वारा ग्राम पठारी स्थित भूमि खसरा नंबर 683/1/1क की तरमीम बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश गलत तरीके से कराकर, प्रीतम द्वारा उसकी भूमि जिस पर उसने (प्रीतम ने) कुआं एवं बंधिया निर्मित किए हैं, तथा जंहा फलदार वृक्ष हैं को अपनी भूमि में सम्मिलित दिखवा दिया गया है, अतः खसरा नंबर 683/1/1क की बगैर सक्षम अधिकारी के नक्शाशीट में दर्ज की गई तरमीम, निरस्त की जाए । इस आवेदन पर तहसीलदार, पलेरा द्वारा उनके प्रकरण कमांक 1583/बी–121/03–04 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17–3–05 द्वारा चार बिन्दु तय किये जाकर यह निष्कर्ष निकाले गए कि (1) मूल खसरा नंबर बड़ा होने के कारण सभी कृषकों (की भूमियों) की एक साथ तर्मीम होनी थी, जो नहीं होकर टुकड़ों–टुकड़ों में तर्मीम होने से त्रुटियां हुईं, (2) ललताबाई (उनके समक्ष अनावेदिका) ने तर्मीम संबंधी सक्षम अधिकारी का दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रीतम व्यथित पक्षकार है, (3) धारा 116 के अधीन नक्शे में शुद्धि का अधिकार राजस्व न्यायालयों में होने के कारण, उनको है, तथा (4) (ललताबाई की भूमि की तर्मीम) एक काल्पनिक इन्द्राज होने के कारण प्रीतम का आवेदन समय बाधित नहीं होता । इन चार निष्कर्षों के आधार पर अपने इस अन्तरिम आदेश द्वारा तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को

आदेशित किया कि वे "सम्पूर्ण मूल नम्बर सहित विधिवत नक्शे की तरमीम किया जाकर प्रतिवेदन दें" ।

ललता बाई द्वारा इस आदेश दिनांक 17–3–05 के विरूद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी की गई, जिसे अपर कलेक्टर ने अपने प्रकरण कमांक 103/निग0/04–05 में पारित आदेश दिनांक 10–2–06 द्वारा व्यवहार न्यायालय के स्थगन का आधार लेते हुए तथा यह कहते हुए कि "तरमीम पुरानी थी, उसके विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी, तहसीलदार को उस तरमीम को सुधारने की अधिकारिता नहीं है", स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध प्रीतम द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी की गई । अपर आयुक्त ने अपने प्रकरण कमांक 390/बी–121/05–06 में पारित आदेश दिनांक 7–8–06 द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–3–05 स्पष्ट एवं सही मानते हुए, तथा यह लिखते हुए कि प्रकरण में किसी प्रकार की स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा संलग्न नहीं है, निगरानी स्वीकार की, जिससे परिवेदित होकर यह प्रकरण राजस्व मण्डल के समक्ष उद्भूत हुआ ।

3/ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमों में निगराकार ललता द्वारा यह कहा गया है कि मूल तरमीम आदेश से यदि कोई परिवेदित था, तो उसे विधिवत अपील करनी चाहिये थी, जिसके बिना उस आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता था, तथा धारा 116 में दुरूस्ती हेतु एक वर्ष की समय सीमा है । साथ ही यह भी लिखा है कि प्रीतम के विरूद्ध धारा 250 के अंतर्गत अवैध कब्जे से संबंधित कार्यवाही भी चली है, और व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश का हवाला भी लिया है ।

अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 10–2–06 में लिखे अनुसार उनके समक्ष उभयपक्ष के तर्क प्रस्तुत हुए थे जिनके अनुसार (1) मूल खसरा नंबर 683 के बंटांक 683/1 का बंटन 1975–76 ललता के पक्ष को हुआ था, (2) प्रीतम की भूमि 683/1/1ख, ललता की भूमि 683/1/1क से लगी हुई है, जिसे उसने ललता के पति के भाई से खरीदा था, जिसकी पुख्ता तरमीम है, तथा जिसका सीमांकन प्रीतम द्वारा कराए जाने पर उस पर ललता का 0.050 हैक्टेयर का अनाधिकृत कब्जा पाया गया था, (3) ललता ने अपनी भूमि का सीमांकन करवाया था जो 28–7–01 को स्वीकार किया गया था, जिसमें प्रीतम के पक्ष का 0.202 हैक्टेयर पर अवैध कब्जा पाया गया था, जिसके आधार पर प्रीतम के पक्ष के विरूद्ध अर्थदण्ड एवं सिविल जेल की कार्यवाही भी हुई थी । प्रीतम के अनुसार ललता द्वारा यह सीमांकन बालाबाला बगैर उन्हें सूचना दिये करवाया गया था एवं उसके विरूद्ध धारा 250 की कार्यवाही भी राजस्व अधिकारियों से सांठ

गांठ कर करवाई गई थी, जिस संबंध में प्रीतम ने कलेक्टर के माध्यम से जब जॉच आदेशित कराकर कार्यवाही कराई तो इस पैरा के बिन्दु (2) अनुसार उसकी भूमि पर ललता का अवैध कब्जा होना स्पष्ट हुआ । कलेक्टर को प्रीतम द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 19–7–2002, 683/2/1ख (प्रीतम की भूमि) के सीमांकन का पंचनामा एवं राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 22–7–02, जिनके अनुसार इस भूमि पर 0.050 हैक्टेयर भाग पर ललताबाई का कब्जा पाया गया, एवं तहसीलदार द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 3/अ–12/01–02 में पारित आदेश दिनांक 27–9–02, जिससे उन्होनें इस प्रतिवेदन अनुसार सीमांकन की पुष्टि की है, की छायाप्रतियां अभिलेख में अवस्थित पाई जाती हैं ।

4/ प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है :

(1) मूल खसरा नंबर 683 का बटांक 683/1 बना, जिससे आगे चलकर 683/1/1क एवं 683/1/1ख बने, तथा 683/1/1ख प्रीतम ने ललता के पति के भाई से खरीदा, तथा 1975 में तरमीम की जाने की बात ललताबाई द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष उठाई जानी, अपर कलेक्टर के आदेश में लिखी है । क्या किसी भी नस्ती में पक्षकारों (ललताबाई अथवा प्रीतम) द्वारा कराए जाने वाले सीमांकनों के पूर्व, सक्षम अधिकारी द्वारा नक्शा तरमीम हुए होने संबंधी अभिलेखीय आधार उपलब्ध है ?

इसके अतिरिक्त शेष बिन्दु इस प्रकार बनते हैं :

(2) 683/1/1क के, एवं अपर कलेक्टर के आदेश में लिखे अनुसार उनके समक्ष प्रस्तुत तर्कों में बनाए अनुसार 683/1/1ख के, सीमांकन/तरमीम के पूर्व सरहदी कृषकों को क्या विधिवत सूचना दी गई थी या नहीं? क्या कार्यवाही सरहदी कृषकों के समक्ष हुई थी या नहीं?

(3) सिविल न्यायालय के संदर्भित स्थगन आदेश का प्रकरण पर क्या प्रभाव है ?

5/ उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) के संबंध में मैं अभिलेखों के अवलोकन से तथा विचारोपरान्त यह पाता हूँ कि (1) 1975 की तथाकथित तरमीम, जो सक्षम अधिकारी के आदेश के आधार पर हुई हो, का कोई दस्तावेज या उसकी प्रति नस्ती में उपलब्ध नहीं है, (2) मूल बड़े खसरा नंबर के अनेक बटांक हो जाने की वजह से सभी बटांकों के खातेदारों की भूमियों की एक साथ नक्शे पर तरमीम की जानी चाहिए थी, टुकड़ों–टुकड़ों में तरमीम अथवा सीमांकन होने की वजह से

त्रुटियों की संभावनाएं उत्पन्न हुईं, तथा (3) ललताबाई अथवा प्रीतम के पक्षों की भूमियों के सीमांकन होने के पूर्व विधिवत सक्षम अधिकारी के आदेश से उनके खातों की भूमियों की तरमीम नक्शों पर हुई हो, इसके स्पष्ट अभिलेखीय प्रमाण नस्तियों में उपलब्ध नहीं हैं ।

उपरोक्त बिन्दु (2) के संबंध में, मैं प्रथम दृष्टया यह पाता हूँ कि खसरा नंबर 683/1/1क की सीमांकन की कार्यवाही, सरहद्दी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना देते हुए नहीं की गई, जिसकी वजह से भी विवाद उत्पन्न हुआ । तहसीलदार पलेरा के प्रकरण कमांक 5/अ–12/00–01 के आदेश दिनांक 28–7–2001 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि खसरा नंबर 683/1/1क के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है, किन्तु इस सीमांकन के पूर्व के पंचनामें में प्रीतम के पक्ष की उपस्थिति मौके पर हुई होनी नहीं पाई जाती ।

जंहा तक बिन्दु कमांक (3) का प्रश्न है, जो [redacted] माननीय न्यायालय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश टीकमगढ द्वारा विविध सिविल अपील 4/05 में पारित आदेश दिनांक 14–7–05 में लिखे अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा खसरा नंबर 683/1/1क पर वादी (ललता) के अधिपत्य में प्रतिवादी प्रीतम के पक्ष को स्वंय अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से दखल न देने के संबंध में है, तो सर्वप्रथम तो यह विविध सिविल अपील में एक दस वर्ष से भी अधिक पहले जारी हुई निषेधाज्ञा है जिसका वर्तमान में भी लागू होना इस बात पर निर्भर है कि उससे संबंधित सिविल न्यायालय के मूल प्रकरण की वर्तमान प्रगति/निर्णय की स्थिति क्या है, जिसे अब इस निषेधाज्ञा का संदर्भ लेने के पूर्व ज्ञात किया जाना चाहिए । इसके अलावा मेरे मान से, इस निषेधाज्ञा का अर्थ यही निकलता है कि माननीय सिविल न्यायालय इस निषेधाज्ञा के माध्यम से खसरा नंबर 683/1/1क को ललता के अधिकार की भूमि मानते है, एवं 'उसमें' किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहते, जो बिलकुल सही है, तथा उनका यह आशय नहीं निकाला जाना चाहिए कि राजस्व अधिकारी, किसी के वैध स्वत्व के अनुसार, उसको उसकी भूमि पर अधिकार दिलाने में पीछे रहें । भूमिस्वामियों के स्वत्व के अनुसार उनकी भूमियों का नक्शा तरमीम कर सीमांकन करना, राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो उन्हें विधि के अनुसार निभानी चाहिए । ऐसा करने में उन्हें (राजस्व अधिकारियों को) खसरा नंबर 683/1/1क की भूमिस्वामी ललताबाई के हितों का संरक्षण, माननीय सिविल न्यायालय के आदेशानुसार, करना ही होगा । साथ ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों, जैसे प्रीतम आदि, को भी उसी अनुसार उनके वैधानिक हितों का संरक्षण अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रदान करना होगा ।

6/ उपरोक्त के प्रकाश में, मैं तहसीलदार पलेरा के आदेश दिनांक 17–3–05 में लिखे गए इस निष्कर्ष से स्वंय को सहमत पाता हूँ, जहॉ उन्होंने 'मूल खसरा नंबर बड़ा होने के कारण सभी कृषकों (की भूमियों) की एक साथ तर्मीम होनी थी, जो नहीं होकर टुकड़ों–टुकड़ों में तर्मीम होने से त्रुटियां हुईं', ऐसा लेख किया है । इस प्रकार की गई विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 7–8–06 यथावत रखते हुए यह प्रकरण तहसीलदार पलेरा, जिला टीकमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि खसरा नंबर 683 के बटांकों, विशेषकर 683/1 के बटांकों, तथा उसमें भी 683/1/1क एवं 683/1/1ख की तरमीम की कार्यवाही, सरहद्दी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को विधिक प्रकिया एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुसार विधिवत सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए एक साथ सर्वप्रथम पूर्ण की जाए । तदुपरान्त आवेदकों की भूमियों के सीमांकन की कार्यवाही, विधिक प्रकिया एवं सहज न्याय के सिद्धांतों का पालन कर, समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए नए सिरे से निष्पादित की जाए । समूची कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता सहित एवं हितबद्ध पक्षकारों तथा सरहदी कृषकों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए इस प्रकार पूर्ण की जाए कि उनमें से किसी के भी वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हो तथा उनके सुसंगत वैधानिक हित पूरी तरह सुरक्षित हों । यह समस्त कार्यवाही इस आदेश की संसूचना के 6 माह की समय सीमा में अनिवार्यतः पूर्ण की जाए ।

प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

दा0द0 हो ।

अभिलेख वापस हों ।

पक्षकांर सूचित हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर